

कुनाई विश्वविद्यालय, नैनीताल।

सूचना अधिकांश अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव कोषकर्ता को विनियमित करने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(3) के अन्तर्गत कुलपति महोदय द्वारा नियोजित समिति के विचारण करके (लिखित सिद्धांत) निर्धारण हेतु गठित समिति की 1278 दिनांक 8-5-2008 की कार्यवाही -

- उपस्थिति
- 1- सहायक कुल सचिव के प्रतिनिधि
 - 2- प्रो. कपिल शर्मा, सहायक कुल सचिव, शिक्षण सचिव
 - 3- प्रो. एस. डी. रत्न, सहायक कुल सचिव, विधि सचिव
 - 4- प्रो. डी. डी. जयन्ती, सहायक कुल सचिव, शोध सचिव
 - 5- प्रो. जे. डी. जयन्ती, सहायक कुल सचिव, विभागाध्यक्ष
 - 6- विभागाध्यक्ष, कुलपति नैनीताल के प्रतिनिधि

कार्यवाही

उपस्थित सूचना जारी के पत्र सं. 835/92 1336 / कुलपति/सूचना/2008 दिनांक 8-5-2008 के द्वारा मुख्य सूचना बाधुक्त के अंतर्गत दिनांक 4-5-2008 के दिनांक 4 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के निम्न अनिलेखों को विनियमित करने की प्रक्रिया के निम्नो को स्थापित करने के लिए समिति ने विनियमित विद्यार्थियों के सर्व समिति से निर्णय लिया कि - आज तक प्रस्ताव के अनुसार को जो रही निष्पत्ति की कार्यवाही को अब कार्य निष्पत्ति प्रकरणों में निम्नलिखित संशुद्धियों के अनुसार विनियमित किया जाय।

1- जहाँ द्वारा प्रयुक्त (लिखित) उत्तर-पुस्तकों को मुख्य परीक्षा की समिति के एक वर्ष बाद/सुदृढी (निर्धारित) पूर्ण होने के उपरान्त विनियमित की कार्यवाही पूर्ण कर उत्तर-पुस्तकों को विनियमित करने की कार्यवाही की जाय।

✓ 2- सामान्य कक्षाओं के प्रवेश फार्म - प्रवेश के समय से अधिकतम 8 वर्ष बाद सभी आवश्यक सूचनाओं के संकलित होने के उपरान्त इन अनिलेखों को विनियमित करने की कार्यवाही की जाय।

✓ 3- उपस्थिति विवरण (अनिलेख) - सातह सत्र पर तीन वर्षों के बाद तथा सातहोत्तर सत्र पर दो वर्षों के बाद आवश्यक सूचनाओं का संकलन करने के उपरान्त इन अनिलेखों को विनियमित करने की कार्यवाही की जाय।

4- शोध प्रवेश आवेदनपत्र तथा सम्बन्धित पत्रावलियाँ - शोध उपाधि प्रदान करने के एक वर्ष बाद आवश्यक सूचनाओं का संकलन करने के उपरान्त इन अनिलेखों को विनियमित करने की कार्यवाही की जाय।

✓ 5- अर्वाइव लिस्ट (प्राप्तांक विवरण) - परीक्षाफल निकलने के एक वर्ष बाद लेकिन यह प्रकाशित करनी आवश्यक होगी कि जिस वर्ष के अर्वाइवलिस्ट विनियमित करने की कार्यवाही को जो रही है, उस वर्ष में कोई परीक्षाफल अपूर्ण तो नहीं है। तदुपरांत यह अनिलेख विनियमित करने की कार्यवाही की जाय।

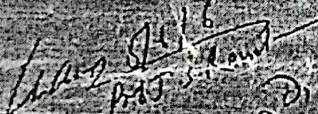
✓ 6- अन्य निष्पत्ति सामग्री यथा प्रवेश परीक्षाओं सम्बन्धी प्रश्न/पूर्व में प्रकाशित पाठ्यक्रम जो निष्पत्ति हो चुके हैं / परीक्षा आवेदन पत्र/अशुद्धियों के कारण निरस्त

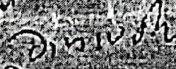
उपाधि पत्र आदि — आवृत्तता के अनुरूप निष्प्रेषित होने पर एक माह की समय
अन्दर निष्प्रेषित की कार्यवाही की जाय।

7— शासनादेश सं० 224/xxxi(2)/जी/2005, उत्तरांचल शासन प्रशासनिक सुधार
देहरादून दिनांक 23 अप्रैल 2005 के आलोक में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की
13(6) के अन्तर्गत (उत्तरांचल विश्वविद्यालय अधिनियम तैयार न होने के कारण) कुलपति मह
द्वारा गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय के उपर्युक्त सामग्रियों के निष्प्रेषित हेतु विश्वविद्या
कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ उपर्युक्त संस्तुति की जाती है।

8— विश्वविद्यालय के शेष अभिलेखों को शासनादेश संख्या 224/xxxi(2)/जी/2005 दिनांक
23-4-2005 के आधार पर निष्प्रेषित घोषित करने की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।

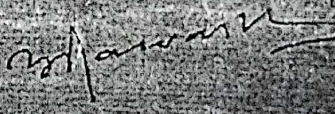
तदुपरान्त बैठक समाप्त हुई।


कला संकाय
प्रतिनिधि


विज्ञान संकाय

(सकायाध्यक्ष)

विधि संकाय


वाणिज्य संकाय


शिक्षा संकाय


वित्त अधिकारी
प्रतिनिधि